भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2820

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के आंकड़ों में भिन्नता

2820 प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वर्ष 2026 में प्रकाशित तीन आधिकारिक रिपोर्टों, अर्थात् मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएँ, 2024, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ, 2024 और एनसीआरबी की भारत में अपराध, 2024 में उसी वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं, जिनमें लगभग 6,000 मृतकों का अंतर है;

(ख) उक्त आंकड़ों में भिन्नता के क्या कारण हैं और इस भिन्नता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार एकीकृत और स्वतंत्र रूप से सत्यापित राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना डेटाबेस स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस विभाग से प्राप्त सड़क दुर्घटना संबंधी के आंकड़ों के आधार पर 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' नामक प्रकाशन जारी करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 'भारत में अपराध' तथा भारत में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई), नामक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के आंकड़ें भी शामिल होते हैं। 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' नामक प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की कुल संख्या 1,77,175 थी। इसके विपरीत, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने इस अवधि के लिए भारत में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1,75,142 मृत्यु की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध" रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना से संबंधित लापरवाही के कारण मृत्यु के अंतर्गत 1,62,500 मृत्यु दर्ज की गई।

यह मामूली अंतर कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए रिपोर्टिंग के स्रोतों और कार्य-पद्धतियों में अंतर के कारण हो सकता है, जैसे कि पुलिस विभागों तथा राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबीएस) के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना। 'भारत में अपराध' केवल सड़क दुर्घटनाओं में हुई ऐसी मौतों को शामिल किया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता अथवा भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई हों। चूंकि प्रत्येक सड़क दुर्घटना में दंडनीय विधि का उल्लंघन होना आवश्यक नहीं है, अतः इसकी कवरेज अपेक्षाकृत सीमित है और परिणामस्वरूप इसके आंकड़े कम हो सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं आत्महत्याएं में दर्शाए गए आंकड़ों में स्वयं के कारण हुई दुर्घटनाओं से होने वाली सड़क दुर्घटना मृत्यु भी शामिल हैं।

तथापि, सड़क दुर्घटना रिपोर्टिंग में डेटा गुणवत्ता, निरंतरता और सामंजस्य में सुधार के लिए केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में है।

(ग) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ईडीएआर) पोर्टल (पूर्ववर्ती इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस आईआरएडी) के माध्यम से एकीकृत राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना डेटाबेस पहले ही स्थापित कर दिया है। ईडीएआर प्लेटफार्म देश में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। यह प्रणाली विभिन्न आईटी प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत है, जिसमें वाहन, सारथी, पीएम गति शक्ति, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का डेटा लेक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) शामिल हैं। ईडीएआर के माध्यम से संकलित आंकड़े दुर्घटना की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में उनकी संबंधित भूमिकाओं के अनुसार संबंधित हितधारकों, सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियां और बीमा कंपनियां शामिल हैं, जिनके द्वारा आंकड़ें दर्ज एवं सत्यापित किये जाते है।

यह एकीकृत डेटाबेस साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, दुर्घटना-बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान, सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों की निगरानी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक है।
